



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62710

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
532/2026

मनोज कुमार

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक के अधिवक्ता: हिमांशु मिश्रा

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।
- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 305/2025, धारा 103(1), 115(2), 351(3), 61(2) बी.एन.एस., 2023, थाना- फतेहाबाद, जनपद आगरा में विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहते हैं: -
 - प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम केवल मृतक का पति होने के कारण लिया गया है।
 - आवेदक और मृतक के बीच वैवाहिक विवाद मौजूद था।
 - आवेदक अब तलाकशुदा है और उसने पुनर्विवाह कर लिया है।
 - मृतक की हत्या करने के पीछे आवेदक का कोई मकसद नहीं था।
 - प्रासंगिक समय पर, आवेदक सी.आर.पी.एफ. कर्मी होने के नाते कोयंबटूर में तैनात था।
 - आवेदक द्वारा मृतक की हत्या की साजिश रचने के सुझाव के लिए एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अपर्याप्त हैं, क्योंकि कथित संपर्क केवल उसके सगे भाई के साथ है।
 - आवेदक का कोई सक्रिय आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। उसे मृतक द्वारा एक मामले में झूठा फंसाया गया था; हालाँकि, विवेचना के दौरान उसे दोषमुक्त कर दिया गया था।
- विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मृतक का पति होने के नाते आवेदक मुख्य अभियुक्त है। यह तर्क दिया गया है कि उसने सह-अभियुक्त कृष्णा और अन्य के साथ साजिश रची और उक्त साजिश को आगे बढ़ाते हुए सह-अभियुक्त कृष्णा ने दिनदहाड़े मृतक की गोली मारकर हत्या कर दी। आवेदक के विरुद्ध

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विवेचना अभी लंबित है और हिरासत में पूछताछ के लिए उसकी आवश्यकता हो सकती है। आगे यह तर्क दिया गया कि कॉल डिटेल् रिकॉर्ड (सीडीआर) इंगित करते हैं कि आवेदक सह-अभियुक्त प्रदीप के संपर्क में था। सह-अभियुक्त कृष्णा का इकबालिया बयान भी यह इंगित करता है कि साजिश आवेदक द्वारा अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर रची गई थी, और इसे आगे बढ़ाते हुए आवेदक, सह-अभियुक्त प्रदीप और सह-अभियुक्त योगेंद्र द्वारा सह-अभियुक्त कृष्णा को एक पिस्तौल और कारतूस उपलब्ध कराए गए थे।

5. मैंने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया है।
6. आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। मृतक, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, आवेदक की पत्नी थी, जिसके साथ उसका विवाद चल रहा था। पक्षों के बीच धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) के तहत कार्यवाही लंबित थी, जिसमें आवेदक मृतक को भरण-पोषण दे रहा था। मृतक की नाबालिग बेटी के बयान से संकेत मिलता है कि घटना से पहले मृतक ने उसे सूचित किया था कि सह-अभियुक्त कृष्णा और योगेंद्र उसका पीछा कर रहे थे। नाबालिग बेटी को घटना का चश्मदीद गवाह भी बताया गया है।
7. विवेचना से सामने आने वाले तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हिरासत में पूछताछ के लिए आवेदक की आवश्यकता है। सह-अभियुक्त का बयान प्रथम दृष्टया अपराध में आवेदक की संलिप्तता की ओर इशारा करता है। मृतक का पति होने के नाते, अपराध कारित करने के पीछे आवेदक का मकसद भी था।

उपरोक्त के आलोक में, यह न्यायालय आवेदक को अग्रिम जमानत देने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं पाता है।

8. तदनुसार, आवेदक- मनोज कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।
9. हालांकि, यदि आवेदक संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है और जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उस पर इस न्यायालय द्वारा वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निरस्त होने से प्रभावित हुए बिना, स्वतंत्र रूप से उसके अपने गुणों के आधार पर विचार किया जाएगा।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

25 मार्च, 2026

कुशल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"